BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

Principal Bench, New Delhi

Original Application No. 819/2022

Abhishek Panwar Applicant(s)

Versus

UPPCB & Ors. Respondent(s)

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	**Response** of the Respondent No. 6 Central Pollution Control Board in O.A No. 819/2022, in the matter of Abhishek Panwer Vs. UPPCB & Ors.	
2.	**Annexure-1** A copy of the Gazette Notification dated 22.02.2022.	
3.	**Annexure -2** A copy of Revised Environmental Notification of Brick Kilns dated 22.02.2022.	
4.	**Annexure -3** A copy of the Gazette Notification dated 22.10.2014.	
5.	**Annexure- 4** A copy of letter dated 01.05.2020 regarding the decision to relax the requirement of environmental clearance.	
6.	**Annexure-5** A copy of notice dated 25.11.2022 and order dated 18.11.2022 passed by the Hon'ble NGT-PB in O.A. No. 819/2022	

(S.K. Gupta)
Scientist-E,
Central Pollution Control Board,
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi- 110032

Place: Delhi
Date: 31.01.2023

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 819/2022

ABHISHEK PANWAR **...APPLICANT**

Vs

UPPCB & ORS. **...RESPONDENTS**

RESPONSE OF THE RESPONDENT NO. 6, CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD,

I, S. K. Gupta S/o Late Shri B.L. Gupta, aged about 59 years working in the capacity of Scientist-E, with Central Pollution Control Board, having office at Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi, do hereby solemnly affirm and sincerely state on oath as follows:

NOTARY PUBLIC R.L. Chaudhary N.C.T. of Delhi Regd. No. 1513 GOVT. OF INDIA

1. That I am presently working in the capacity of Scientist-E at Central Pollution Control Board hereinafter referred to as "**CPCB**"), and have been authorized to file the present Response. I have read and understood the contents of the copy of the above Petition and I have perused the documents annexed therewith, and as I am conversant with the facts and circumstances of the present case, I am duly authorized and competent to file the present Counter Affidavit on behalf of the Respondent No. 6.

About O.A No. 819 of 2022:

2. That the present petition has been filed by Mr. Abhishek Panwar, a citizen of Gram Babupur, District Saharanpur, Uttar Pradesh, under Sections 14 and 15 of the National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as "**NGT Act**") in public interest for severe level of air pollution and deterioration of water quality due to increasing pollution of illegal brick kilns in clusters and nearby water bodies in district Saharanpur and failure on the part of the concerned authorities to prevent them from becoming irreversible. Damage to the environment of the area also causing serious harm to the health of the local residents.

3. As per the claim of the applicant and information provided by UPPCB, there are about 263 brick kilns in Saharanpur, out of which 25 units have not applied for Consent to Operate (CTO) and closure orders have been issued against them however only Prosecution has been initiated against 03 units. No action has been taken against most of the brick kilns running illegally.

NOTARY PUBLIC Chaudhary N.C.T. of Delhi Regd. No. 1513 GOVT. OF INDIA

The siting rules are being violated by the brick kiln operators. The brick kilns were using ground water in huge quantity without obtaining permission from the Ground Water Authority for ground water extraction.

4. Most of the brick kilns in Saharanpur have not converted to the zigzag technology and are running throughout the year. The brick makers of Saharanpur did not maintain the record of soil excavation at the site. Most of the kiln owners are openly violating the said rules by digging soil more than 2 meters deep at the site and no action is being taken against them by the concerned authorities.

Hon'ble NGT directives:

5. On the hearing of the matter on 18.11.2022, Hon'ble NGT inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):

"5. Notice of the application be issued to the respondents requiring the respondents to file reply by e-mail at judicial-ngt@gov.in" ....

CPCB Reply:

The present matter is related to the illegal operation of brick kilns in clusters and nearby water bodies in Saharanpur District, Uttar Pradesh. It is submitted that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India vide Notification GSR No. 143(E) dated 22.02.2022 issued Environmental Standards for Brick Kilns, wherein emission norms was revised from 750 to 250 mg/Nm^3. Besides, conversion of existing brick kilns to zig-zag technology or vertical shaft or use of piped natural gas as fuel in brick making within a period of (a) one year in case of kilns located within ten kilometre radius of non-attainment cities as defined by Central Pollution Control Board (b) two years for other areas. Further, in cases where Central Pollution Control Board/State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees has separately laid down timelines for conversion, such orders shall prevail.

NOTARY PUBLIC R.L. Chaudhary N.C.T. of Delhi Regd. No. 1513 GOVT. OF INDIA

The said notification has also laid down guidelines for siting criteria, fugitive dust emission control, approved fuel, monitoring facilities such as platforms and portholes. A copy of the Notification dated 22.02.2022 is attached as **Annexure-1.**

Further, it is submitted that a copy of the aforesaid Notification was communicated vide CPCB letter dated 26.07.2022 to all SPCBs/PCCs for implementation thereof. A copy of the CPCB letter dated 26.07.2022 is attached as **Annexure-2**.

6. In reference to the permission for soil excavation for brick making, as per the provisions made in the Notification No. 3204/86-2014-278-2011 dated 22.10.2014, (U.P. Sub-Minerals Avoidance Rules, 37th Amendment 2014) issued by the Department of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh. The relevant portion of the Notification is reproduced as under:

> ***"इस नियमावली के प्रयोजनार्थ ईंट ऐवम मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु हस्तचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्तचालन से साधारण मृदा, सा मान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया, खनन संक्रियाओं के अंतर्गत न हीं आएगी। प्रतिबंध यह है की ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्व रूप उत्पन्न गड्ढो की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी।"***
>
> ***("Ordinary soil, done by hand for making bricks and pottery, or by hand operation to remove ordinary soil, shall not come under mining operations, provided that the depth of the pits resulting from such excavation or mining will not be more than 02 meters.")***

NOTARY PUBLIC Chaudhary N.C.T. of Delhi Regd. No. 1513 GOVT. OF INDIA

A copy of Notification dated 22.10.2014 is attached as **Annexure-3.**

In this regard, the Secretary, Environment Department, Govt. of Uttar Pradesh had also issued a letter dated 01.05.2020 on the basis of the aforesaid U.P. Sub-Minerals Avoidance Rules, in which it was mentioned that no prior environmental consent would be required for

excavating normal soil/common soil to a depth of 02 meters by hand for making bricks. A copy of letter dated 01.05.2020 attached as **Annexure-4**.

In view of the above, it is humbly submitted that SPCBs are the regulatory agencies for ensuring the compliance of siting criteria and conditions laid down in the Notification GSR No. 143(E) dated 22.02.2022 issued by MoEF&CC regarding Environmental Standards for Brick Kilns in respective States. It is further submitted that SPCBs may carry out regular inspections of brick kilns and take appropriate action against non-complying brick kilns.

NOTARY PUBLIC
M.L. Chaudhary
N.C.T. of Delhi
Regd. No. 1513
GOVT. OF INDIA

It is therefore most respectfully submitted that the answering respondent undertakes to abide by any directions issued by this Hon'ble Tribunal in the present Original Application.

DEPONENT

एस.के. गुप्ता/S.K. Gupta
वैज्ञानिक "ई" / Scientist "E"
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Central Pollution Control Board
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
M/o Envt. Forest & Climate Change, Govt. of India
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar
दिल्ली/Delhi-110032

VERIFICATION

Verified at Delhi on this 31 day of January, 2023 that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and belief, that no part of it is false and that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

Delhi

Dated: 31.01.2023

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
GOVT. OF INDIA
31 JAN 2023

एस.के. गुप्ता/S.K. Gupta
वैज्ञानिक "ई" / Scientist "E"
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Central Pollution Control Board
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
M/o Envt. Forest & Climate Change, Govt. of India
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar
दिल्ली/Delhi-110032

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022022-233662
CG-DL-E-22022022-233662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943
No. 140] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 143(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है:, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 है।

   (2) वे राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-I में, क्रम सं. 74 पर प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात्: -

74"	ईंट भट्टे	चिमनी से उत्सर्जन में विविक्त पदार्थ	250 मिलीग्राम/एनएम3
		चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई (भट्टों की वर्टिकल साफ्ट) - भट्टा क्षमता 30,000 ईंट प्रतिदिन से कम - भट्टा क्षमता 30,000 ईंट प्रति दिन के बराबर या अधिक	14 मीटर (लोडिंग प्लेटफॉर्म से कम से कम 7.5 मीटर) 16 मीटर (लोडिंग प्लेटफॉर्म से कम से कम 8.5 मीटर)

		चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई (भट्टों की वर्टिकल साफ्ट के अलावा) - भट्टा क्षमता 30,000 ईंट प्रतिदिन से कम - भट्टा क्षमता 30,000 ईंट प्रति दिन के बराबर या अधिक	 24 मीटर 27 मीटर

टिप्पणियां :

1. सभी नए ईंट भट्टों को केवल ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट के साथ होने की या ईंट बनाने में ईंधन के रू पाइप्ड प्राकृतिक गैस के उपयोग की अनुमति दी जाएगी और इस अधिसूचना में निर्धारित मानकों का पालन क होगा।

2. विद्यमान ईंट भट्टे जो ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट या ईंट बनाने में ईंधन के रूप में पाइप्ड प्राकृतिक (पीएनजी) के उपयोग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें (क) गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में स्थित भ मामले में एक वर्ष (जैसा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथापरिभाषित) (ख) अन्य क्षेत्रों के लिए दो व अवधि के भीतर ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किया जाएगा या पीएनजी का उपयोग बनाने में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां ने रूपांतरण के लिए अलग से समय-सीमाएं निर्धारित की हैं, ऐसे आदेश प्रभावी होंगे।

3. सभी ईंट भट्टे केवल अनुमोदित ईंधन जैसे कि पाइपड प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन लकड़ी और/या कृषि अपशिष्टं का उपयोग करेंगे। पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/ख़तरनाक अपशिष्टों के उपयोग की अनुमति ईंट भट्टों को नहीं जाएगी।

4. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों/रूपरेखा के अनुसार ईंट स्थायी सुविधा (पोर्ट होल और प्लेटफार्म) का निर्माण करेंगे।

5. विविक्त सामग्रियों (पीएम) के निष्कर्ष 4% CO_2 पर प्रसामान्य किए जाएंगे जो निम्नलिखित हैं:

   पीएम (सामान्य) = (पीएम(मापित) X 4%)/ (चिमनी में मापित CO_2 का %, मापित CO_2 के मामले में ≥ कोई प्रसामान्यीकरण नहीं। चिमनी की ऊँचाई (मीटर में) भी $H= 14 Q^{0.3}$ सूत्र (जहां Q kg/hr में SO_2 उत्स दर है) द्वारा परिकलित की जाएगी, और अधिकतम दो को काम में ले सकेंगे।

6. ईंट भट्टों को आवासों और फलों के बागों से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां आवास, जनसंख्या घनत्व, जल निकायों, संवेदनशील रिसे इत्यादि की निकटता का ध्यान रखते हुए स्थापित मापदंडों को सख्त बना सकते हैं।

7. किसी क्षेत्र में भट्टों की अधिक संख्या से बचने के लिए मौजूदा ईंट भट्टों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी ईंट भट्टों को स्थापित किया जाना चाहिए।

8. ईंट भट्टों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां द्वारा निर्धारित उत्सर्जन प्रक्रिया/पल धूल उत्सर्जन नियंत्रण दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

9. ईंट भट्टों से निकलने वाली राख को ईंट बनाने में उसी परिसर के अंदर ही इस्तेमाल किया जाएगा।

10. ईंट भट्टे में ईंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी को निकालने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षे खनन विभाग सहित संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाएंगे।

11. ईंट भट्टा मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि कच्चे माल/ईंटों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली सड़के पक्की सड़कें हैं।

12. कच्चे माल/ईंटों के परिवहन के दौरान वाहनों को ढका जाएगा।"

[फा. सं. क्यू-15017/35/2007-सीपीडब

नरेश पाल गंगवार, अपर स

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में तारीख 19 नवंबर, 1986 के का.आ. 844 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 04 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना सा.का.नि. 724 (अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2022

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. Short Title and commencement: -

(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the SCHEDULE-I, for entry at Sl. No. 74, the following entry shall be substituted, namely: -

"74	**Brick Kilns**	Particulate matter in stack emission	250 mg/Nm^3
		Minimum stack height (Vertical Shaft Brick Kilns)	
		- Kiln capacity less than 30,000 bricks per day	14 m (at least 7.5m from loading platform)
		- Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	16 m (at least 8.5m from loading platform)
		Minimum stack height (Other than Vertical Shaft Brick Kilns)	
		- Kiln capacity less than 30,000 bricks per day	24 m
		- Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	27 m

Notes :

1. All new brick kilns shall be allowed only with zig-zag technology or vertical shaft or use of Piped Natural Gas as fuel in brick making and shall comply to these standards as stipulated in this notification.
2. The existing brick kilns which are not following zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making shall be converted to zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making within a period of (a) one year in case of kilns located within ten kilometre radius of non-attainment cities as defined by Central Pollution Control Board (b) two years for other areas. Further, in cases where Central Pollution Control Board/State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees has separately laid down timelines for conversion, such orders shall prevail.
3. All brick kilns shall use only approved fuel such as Piped Natural Gas, coal, fire wood and/or agricultural residues. Use of pet coke, tyres, plastic, hazardous waste shall not be allowed in brick kilns.
4. Brick kilns shall construct permanent facility (port hole and platform) as per the norms or design laid down by the Central Pollution Control Board for monitoring of emissions.
5. Particulate Matter (PM) results shall be normalized at 4% CO_2 as below:

   PM (normalized) = (PM (measured)x 4%)/ (% of CO_2 measured in stack), no normalization in case CO_2 measured $\geq$ 4%. Stack height (in metre) shall also be calculated by formula $H=14Q^{0.3}$ (where Q is SO_2 emission rate in kg/hr), and the maximum of two shall apply.

6. Brick kilns should be established at a minimum distance of 0.8 kilometre from habitation and orchards. State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees may make siting cr stringent considering proximity to habitation, population density, water bodies, sensitive recep etc.

7. Brick kilns should be established at a minimum distance of one kilometre from an existing kiln to avoid clustering of kilns in an area.

8. Brick kilns shall follow process emission/fugitive dust emission control guidelines as prescribe concerned State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees.

9. The ash generated in the brick kilns shall be fully utilized in-house in brick making.

10. All necessary approvals from the concerned authorities including mining department of concerned State or Union Territory shall be obtained for extracting the soil to be used for b making in the brick kiln.

11. The brick kiln owners shall ensure that the road utilized for transporting raw materials or brick paved roads.

12. Vehicles shall be covered during transportation of raw material/bricks".

[F. No. Q-15017/35/2007-C

NARESH PAL GANGAWAR, Addl. S

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended number G.S.R. 724(E), dated the 04th October, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

57199/2022/IPC-V-HO

188

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE GOVT. OF INDIA

Speed Post/Email

CP-31/2/2022-IPC-V-HO-CPCB-HO 2459-2503 July 26, 2022

To

The Member Secretary,
All State Pollution Control Boards/ PCCs
(As Per List)

Sub: Revised Environmental Notification of Brick Kilns dated 22.02.2022 -reg.

Sir,

Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) has revised the Environmental Standards for Brick Kilns vide Notification GSR No. 143 (E) dated 22.02.2022.

A copy of Revised Environmental Notification is attached for reference and its implementation.

Yours faithfully,

(S.K. Gupta)
Addl. Director & DH, IPC-V

Encl: as above

Copy to:

All Regional Directorates : for follow up, please.
Central Pollution Control Board
(As Per List)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
निर्गत...
दिनांक 26/07/2022

(S. K. Gupta)

O/C

57199/2022/IPC-V-HO

189

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022022-233662
CG-DL-E-22022022-233662

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943
No. 140] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

सा.का.नि. 143(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है:, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) वे राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-I में, क्रम सं. 74 पर प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात्: -

74"	ईंट भट्टे	चिमनी से उत्सर्जन में विविक्त पदार्थ	250 मिलीग्राम/एनएम3
		चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई (भट्टों की वर्टिकल साफ्ट)	
		- भट्टा क्षमता 30,000 ईंट प्रतिदिन से कम	14 मीटर (लोडिंग प्लेटफॉर्म से कम से कम 7.5 मीटर)
		- भट्टा क्षमता 30,000 ईंट प्रति दिन के बराबर या अधिक	16 मीटर (लोडिंग प्लेटफॉर्म से कम से कम 8.5 मीटर)

		चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई (भट्टों की वर्टिकल साफ्ट के अलावा)	
		- भट्टा क्षमता 30,000 ईंट प्रतिदिन से कम	24 मीटर
		- भट्टा क्षमता 30,000 ईंट प्रति दिन के बराबर या अधिक	27 मीटर

टिप्पणियां :

1. सभी नए ईंट भट्टों को केवल ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट के साथ होने की या ईंट बनाने में ईंधन के रू पाइप्ड प्राकृतिक गैस के उपयोग की अनुमति दी जाएगी और इस अधिसूचना में निर्धारित मानकों का पालन क होगा।

2. विद्यमान ईंट भट्टे जो ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट या ईंट बनाने में ईंधन के रूप में पाइप्ड प्राकृतिक (पीएनजी) के उपयोग का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें (क) गैर-प्राप्ति शहरों के 10 किमी के दायरे में स्थित भ मामले में एक वर्ष (जैसा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथापरिभाषित) (ख) अन्य क्षेत्रों के लिए दो व अवधि के भीतर ज़िग-ज़ैग तकनीक या वर्टिकल शाफ्ट में परिवर्तित किया जाएगा या पीएनजी का उपयोग बनाने में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहां केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां ने रूपांतरण के लिए अलग से समय-सीमाएं निर्धारित की हैं, ऐसे आदेश प्रभावी होंगे।

3. सभी ईंट भट्टे केवल अनुमोदित ईंधन जैसे कि पाइपड प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन लकड़ी और/या कृषि अपशिष्टं का उपयोग करेंगे। पेट कोक, टायरों/प्लास्टिक/ख़तरनाक अपशिष्टों के उपयोग की अनुमति ईंट भट्टों को नहीं जाएगी।

4. उत्सर्जन की निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों/रूपरेखा के अनुसार ईंट स्थायी सुविधा (पोर्ट होल और प्लेटफार्म) का निर्माण करेंगे।

5. विविक्त सामग्रियों (पीएम) के निष्कर्ष 4% CO_2 पर प्रसामान्य किए जाएंगे जो निम्नलिखित हैं:

पीएम (सामान्य) = (पीएम(मापित) X 4%)/ (चिमनी में मापित CO_2 का %, मापित CO_2 के मामले में ≥ कोई प्रसामान्यीकरण नहीं। चिमनी की ऊँचाई (मीटर में) भी $H= 14\ Q^{0.3}$ सूत्र (जहां Q kg/hr में SO_2 उत्स दर है) द्वारा परिकलित की जाएगी, और अधिकतम दो को काम में ले सकेंगे।

6. ईंट भट्टों को आवासों और फलों के बागों से 0.8 कि.मी. की न्यूनतम दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां आवास, जनसंख्या घनत्व, जल निकायों, संवेदनशील रिसे इत्यादि की निकटता का ध्यान रखते हुए स्थापित मापदंडों को सख्त बना सकते हैं।

7. किसी क्षेत्र में भट्टों की अधिक संख्या से बचने के लिए मौजूदा ईंट भट्टों से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी ईंट भट्टों को स्थापित किया जाना चाहिए।

8. ईंट भट्टों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियां द्वारा निर्धारित उत्सर्जन प्रक्रिया/पल धूल उत्सर्जन नियंत्रण दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

9. ईंट भट्टों से निकलने वाली राख को ईंट बनाने में उसी परिसर के अंदर ही इस्तेमाल किया जाएगा।

10. ईंट भट्टे में ईंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी को निकालने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षे खनन विभाग सहित संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किए जाएंगे।

11. ईंट भट्टा मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि कच्चे माल/ईंटों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली सड़के पक्की सड़कें हैं।

12. कच्चे माल/ईंटों के परिवहन के दौरान वाहनों को ढका जाएगा।"

[फा. सं. क्यू-15017/35/2007-सीपीडब

नरेश पाल गंगवार, अपर स

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में तारीख 19 नवंबर, 1986 के का.आ. 844 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 04 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना सा.का.नि. 724 (अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd February, 2022

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. Short Title and commencement: -

(1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the SCHEDULE-I, for entry at Sl. No. 74, the following entry shall be substituted, namely: -

"74	**Brick Kilns**	Particulate matter in stack emission	250 mg/Nm^3
		Minimum stack height (Vertical Shaft Brick Kilns)	
		- Kiln capacity less than 30,000 bricks per day	14 m (at least 7.5m from loading platform)
		- Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	16 m (at least 8.5m from loading platform)
		Minimum stack height (Other than Vertical Shaft Brick Kilns)	
		- Kiln capacity less than 30,000 bricks per day	24 m
		- Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	27 m

Notes :

1. All new brick kilns shall be allowed only with zig-zag technology or vertical shaft or use of Piped Natural Gas as fuel in brick making and shall comply to these standards as stipulated in this notification.
2. The existing brick kilns which are not following zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making shall be converted to zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making within a period of (a) one year in case of kilns located within ten kilometre radius of non-attainment cities as defined by Central Pollution Control Board (b) two years for other areas. Further, in cases where Central Pollution Control Board/State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees has separately laid down timelines for conversion, such orders shall prevail.
3. All brick kilns shall use only approved fuel such as Piped Natural Gas, coal, fire wood and/or agricultural residues. Use of pet coke, tyres, plastic, hazardous waste shall not be allowed in brick kilns.
4. Brick kilns shall construct permanent facility (port hole and platform) as per the norms or design laid down by the Central Pollution Control Board for monitoring of emissions.
5. Particulate Matter (PM) results shall be normalized at 4% CO_2 as below:

   PM (normalized) = (PM (measured)x 4%)/ (% of CO_2 measured in stack), no normalization in case CO_2 measured $\geq$ 4%. Stack height (in metre) shall also be calculated by formula $H=14Q^{0.3}$ (where Q is SO_2 emission rate in kg/hr), and the maximum of two shall apply.

6. Brick kilns should be established at a minimum distance of 0.8 kilometre from habitation and orchards. State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees may make siting cr stringent considering proximity to habitation, population density, water bodies, sensitive recep etc.

7. Brick kilns should be established at a minimum distance of one kilometre from an existing kiln to avoid clustering of kilns in an area.

8. Brick kilns shall follow process emission/fugitive dust emission control guidelines as prescribe concerned State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees.

9. The ash generated in the brick kilns shall be fully utilized in-house in brick making.

10. All necessary approvals from the concerned authorities including mining department of concerned State or Union Territory shall be obtained for extracting the soil to be used for b making in the brick kiln.

11. The brick kiln owners shall ensure that the road utilized for transporting raw materials or brick paved roads.

12. Vehicles shall be covered during transportation of raw material/bricks".

[F. No. Q-15017/35/2007-C

NARESH PAL GANGAWAR, Addl. S

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended number G.S.R. 724(E), dated the 04th October, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

List of all State Pollution Control Board & Pollution Control Committee

1. The Member Secretary Andhra Pradesh Pollution Control Board D. No. 33-26-14 D/2, Near Sunrise Hospital, Pushpa Hotel Centre, Chalamalavari Street, Kasturibaipet, Vijayawada – 520010	**2.** The Member Secretary Arunachal Pradesh State Pollution Control Board Govt. of Arunachal Pradesh, Department of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, Yupia Road, PapuNalah, Naharlagun - 791110
3. The Member Secretary Pollution Control Board- Assam, Bamunimaidam, Guwahati – 781021 (Assam)	**4.** The Member Secretary Bihar State Pollution Control Board Parivesh Bhawan, Plot No. NS-B/2, Paliputra Industrial Area, Patliputra, Patna – 800023 (Bihar)
5. The Member Secretary Chhattisgarh State Environment Conservation Board, Paryavas Bhawan, North Block Sector-19, Naya Raipur - 492002 (Chhattisgarh)	**6.** The Member Secretary Goa State Pollution Control Board Nr. Pilerne Industrial Estate, Opposite Saligao Seminary, SaligaoBardez– 403511 (Goa)
7. The Member Secretary Gujarat Pollution Control Board ParyavaranBhavan, Sector 10-A, Gandhi Nagar 382010 (Gujarat)	**8.** The Member Secretary Haryana State Pollution Control Board C-11, Sector-6, Panchkula- 134109 (Haryana)
9. The Member Secretary Himachal Pradesh State Pollution Control Board Him Parivesh, Phase-III, New Shimla – 171009	**10.** The Member Secretary J&K State Pollution Control Committee, Parivesh Bhawan, Shiekh-ul-Campus, behind Govt. Silk Factory, Raj Bagh, Srinagar - 190008 (J&K)
11. The Member Secretary Jharkhand State Pollution Control Board T.A. Bldg., HEC, P. O. Dhurwa, Ranchi-834004 (Jharkhand)	**12.** The Member Secretary Karnataka State Pollution Control Board "ParisaraBhavan", #49,4th & 5th Floor, Church Street, Bangalore 560 001
13. The Member Secretary Kerala State Pollution Control Board Head Office, Pattom. P. O Thiruvananthapuram- 695 004 (Kerala)	**14.** The Member Secretary Madhya Pradesh Pollution Control Board ParyavaranParisar, E-5, Arera Colony, Bhopal - 462016 (Madhya Pradesh)
15. The Member Secretary	**16.** The Member Secretary

Maharashtra Pollution Control Board, Kalpataru Points, 3rd& 4th Floor, Sion Matunga Scheme Road No.6 Opp. Cine Planet, Sion Circle, Sion (E), Mumbai-400022	Manipur Pollution Control Board Lamphalpat, Imphal – 795004 (Manipur)
17. The Member Secretary Meghalaya State Pollution Control Board, "ARDEN", Lumpyngngad, Shillong– 793014 (Meghalaya)	**18.** The Member Secretary Mizoram Pollution Control Board New Secretariat Complex, Khatla, Aizawl – 796001 (Mizoram)
19. The Member Secretary Nagaland Pollution Control Board Signal Point, Dimapur - 797112 (Nagaland)	**20.** The Member Secretary Odisha State Pollution Control Board Paribesh Bhawan, A-118, Nilakantha Nagar, Unit VIII Bhubaneswar–751012 (Odisha)
21. The Member Secretary Punjab Pollution Control Board Vatavaran Bhawan, Nabha Road Patiala 147 001 (Punjab)	**22.** The Member Secretary Rajasthan Pollution Control Board, A-4, Institutional Area, JalanaDungri, Jaipur 302 004 (Rajasthan)
23. The Member Secretary Sikkim State Pollution Control Board State Land Use & Environment Cell Govt. of Sikkim, Deorali Gangtok – 737102 (Sikkim)	**24.** The Member Secretary Tamil Nadu Pollution Control Board 76, Anna Salai, Guindy Industrial Estate, Race View Colony, Guindy, Chennai–600032 (Tamil Nadu)
25. The Member Secretary Telangana State Pollution Control Board ParyavaranaBhavan, A-III, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad–500018 (Telangana)	**26.** The Member Secretary Tripura State Pollution Control Board Parivesh Bhawan, Pandit Nehru Complex P.O. Kunjaban, Gorkhabasti, Agartala – 799 006 (Tripura)
27. The Member Secretary Uttar Pradesh Pollution Control Board IIIrd Floor PICUP Bhavan VibhuthiKhand, Gomti Nagar, Lucknow – 226 020, (Uttar Pradesh)	**28.** The Member Secretary Uttarakhand Environment Protection& Pollution Control Board 29/20, Nemi Road, Dalanwala, Dehradun – 248 001 (Uttarakhand)

29. The Member Secretary West Bengal Pollution Control Board ParibeshBhavan, 10-A, Block LA, Sector III, Salt Lake City, Kolkata-700 091 (West Bengal)	**30.** The Member Secretary Andaman & Nicobar Islands Pollution Control Committee, Department of Science & Technology, Dollyganj Van Sadan, Haddo P.O. Port Blair-744102 (Andaman & Nicobar)
31. The Member Secretary Chandigarh Pollution Control Committee Paryavaran Bhawan, Ground Floor, Sector-19 B, Madhya Marg, Chandigarh – 160 019	**32.** The Member Secretary Pollution Control Committee, UTs of Daman, Diu and Dadra & Nagar Haveli Fort Area, Court Compound, Moti Daman - 396 220
33. The Member Secretary Delhi Pollution Control Committee, Government of N.C.T. Delhi 4th Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi-110 006	**34.** The Member Secretary Lakshadweep Pollution Control Committee Department of Science, Technology & Environment, Kavarati-682555
35. The Member Secretary Puducherry Pollution Control Committee 'B' Block, Ground Floor, Chief Secretariat, Puducherry-605 001	**36.** The Member Secretary Ladakh Pollution Control Committee Wildlife Office Building, Near Council Secreatriat, Opposite Police Station Housing Colony, Leh-194101 (Ladakh)

List of all Regional Directorates

1. Regional Director (Bengaluru) Central Pollution Control Board A-Block, NisargaBhavan 1st and 2nd Floors, 7th D Cross Thimmaiah Road, Shivanagar Bengaluru-560079	**2.** Regional Director (Bhopal) Central Pollution Control Board Parivesh Bhawan, ParyavaranParisar E-5, Arera Colony Bhopal – 462016
3. Regional Director (Kolkata) Central Pollution Control Board 'South end Conclave' Block-502 5th & 6th Floor, 1582, Razidanga, Main Road Kolkata-700107	**4.** Regional Director (Lucknow) Central Pollution Control Board PICUP Bhawan, VibhutiKhand, Gomti Nagar Lucknow-226020
5. Regional Director (Shillong) Central Pollution Control Board "TUM-SIR". Lower Motinagar, Near Fire Brigade H.Q., Shillong-793014	**6.** Regional Director (Vadodara) Central Pollution Control Board Parivesh Bhawan, Opp. Ward No. 10 VMC Office Subhanpura, Vadodara – 390023
7. Regional Director (Chennai) Central Pollution Control Board 77-A, 2nd Floors, South Avenue Road Ambattur Industrial Esate Ambattur Taluk, Thiruvallur District Chennai-600058	**8.** Regional Director (Chandigarh) Central Pollution Control Board Second Floor, BSNL Telephone Exchange, Sector-49, Chandigarh - 160047
9. Regional Director (Pune) Central Pollution Control Board, Survey No. 110, Dhankude Multi Purpose Hall, Baner Road, Baner, Pune - 411045	

Annexure-3

क्रम-संख्या–223(ख)

37

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 22 अक्टूबर, 2014

आश्विन 30, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग

संख्या 3204/86-2014-278-2011

लखनऊ, 22 अक्टूबर, 2014

अधिसूचना

सा०प०नि०–71

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (सैंतीसवां संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) (सैंतीसवां संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3–खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र के अधीन होगी–(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी ऐसे उप खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा–पत्र की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियायें न कर सकेगा : प्रतिबन्ध यह कि किसी बात का प्रभाव इस नियमावली में प्रारम्भ होने के पूर्व यथाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा–पत्र की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गयी खनन संक्रियायों पर न पड़ेगा। स्पष्टीकरण:– ईंट बनाने हेतु हस्तचालन से खुदायी द्वारा अथवा हस्तचालन से सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया खनन संक्रियाओं के अंतर्गत नहीं आयेगी जब तक की खनन स्थल की गहरायी 02 मीटर से अधिक न हो।	3–खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा–पत्र के अधीन होगी–(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी ऐसे उप–खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा–पत्र की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियायें न कर सकेगा : प्रतिबन्ध यह कि किसी बात का प्रभाव इस नियमावली में प्रारम्भ होने के पूर्व यथाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा–पत्र की शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गयी खनन संक्रियाओं पर न पड़ेगा। स्पष्टीकरण:–इस नियमावली के प्रयोजनार्थ ईंट, एवं मिट्टी के वर्तन बनाने हेतु हस्तचालन से खुदायी द्वारा अथवा हस्तचालन से साधारण मृदा, सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया, खनन संक्रियाओं के अंतर्गत नहीं आयेगी : प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्ढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी।
(2) कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा–पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।	(2) कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा–पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।

नियम 9 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 9 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9–कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार :– (1) जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक ही भूमि के सम्बन्ध में खनन पट्टे के लिये आवेदन किया हो, वहाँ उस प्रार्थी को जिसका प्रार्थना–पत्र अपेक्षाकृत पहले प्राप्त हुआ है, ऊपर पट्टा दिये जाने का अधिमानी अधिकारी होगा	9–कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार :– (1) जहाँ क्षेत्र/क्षेत्रों को खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु उनकी उपलब्धता नियम 72 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला अधिकारी द्वारा घोषित की गयी है, वहाँ उस घोषणा में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त सभी प्रार्थना पत्र एक ही दिन में प्राप्त समझे जायेंगे और उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात् सभी प्रार्थना पत्रों पर एक साथ विचार किया जायेगा और ऐसे प्रार्थियों में से किसी ऐसे प्रार्थी के पक्ष में, जो उनके द्वारा उचित समझा जाये, खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

D:\Khanee\M24 RPH Niyamawali- Bhothath-2014.rtf

स्तम्भ—1

विद्यमान नियम

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ ऐसे प्रार्थना—पत्र एक ही दिन प्राप्त हुये हों, वहाँ राज्य सरकार उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट बातों पर विचार करने के पश्चात् खनन पट्टा प्रार्थियों में से किसी एक ऐसे प्रार्थी को दे सकती है, जिसे वह उचित समझे।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट बातें :—

(क) प्रार्थी का खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव,

(ख) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन,

(ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता ,

(घ) किसी पूर्व पट्टे या अनुज्ञा—पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा—पत्र की शर्तों या उसके सम्बन्धित में किसी विधि के उपबन्धों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण, और

(ङ) नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाने वाली बालू या मौरंग या बजरी या बोल्डर या उनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो, के लिए खनन पट्टे के सम्बन्ध में, यदि अन्य बातें समान हों, तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों, जैसे (मल्लाह, केवट, बिन्द, निषाद, माँझी, बाथम, धीवर, थेमर, चाई, सोरहिया, तुरहा, रैकवार, कैवर्त, खुलवट, तियार, गौडिया, गोडिया और कश्यप) और नागरिकों की ऐसी अन्य वर्गों के हों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया गया हो और जिन्होंने सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी से प्रपत्र एम0एम0—14 के प्रारूप पर इस आशय का प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो कि अमुक व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह पारम्परिक रूप से अपने जीवकोपार्जन हेतु बालू/मौरंग के उत्खनन कार्य में लगे हैं, और उसी जिले के निवासी हैं, जिसमें वह क्षेत्र जिसके लिए पट्टे का आवेदन किया गया है स्थित हो, अधिमान दिया जायेगा।

स्तम्भ—2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट बातें

(क) प्रार्थी का खनन संक्रियाओं में विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव,

(ख) प्रार्थी के वित्तीय संसाधन,

(ग) प्रार्थी द्वारा सेवायोजित या सेवायोजित किये जाने वाले प्राविधिक कर्मचारी वर्ग (स्टाफ) की प्रकृति और गुणवत्ता,

(घ) किसी पूर्व पट्टे या अनुज्ञा—पत्र के आधार पर खनन संक्रियाओं को कार्यान्वित करने में और ऐसे पट्टे या अनुज्ञा—पत्र की शर्तों या उसके सम्बन्धित में किसी विधि के उपबन्धों का पालन करने में प्रार्थी का आचरण , और

(ङ) ऐसी अन्य बातें जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जायें।

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(घ) ऐसे अन्य बातें जो राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझी जायें।	
(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुये भी किन्तु उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रखते हुए राज्य सरकार किन्हीं विशेष कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी ऐसे प्रार्थी को जिसका प्रार्थना–पत्र पहले प्राप्त हुआ हो, अधिमान में किसी ऐसे प्रार्थी को, जिसका प्रार्थना–पत्र बाद में प्राप्त हुआ हो, पट्टा दे सकती है।	(3) उपनियम (1) एवं (2) में किसी बात के होते हुए भी नक्सल प्रभावित ग्रामों, जिसे राज्य सरकार द्वारा सामान्य आदेश के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, में स्थित एक तिहाई खनन क्षेत्रों के लिए पट्टा ऐसे स्वयं सहायता समूहों को जिसके सदस्य उसी ग्राम के निवासी हो जिसमें ऐसा पट्टा स्थित है, को प्रदान किया जायेगा और ऐसे एक तिहाई क्षेत्रों का निर्धारण उस जिले के जिलाधिकारी के द्वारा सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा
(4) उपनियम (1), (2) एवं (3) में किसी बात के होते हुए भी नक्सल प्रभावित ग्रामों, जिसे राज्य सरकार द्वारा सामान्य आदेश के अन्तर्गत घोषित किया गया हो, में स्थित एक तिहाई खनन क्षेत्रों के लिए पट्टा ऐसे स्वयं सहायता समूहों को जिसके सदस्य उसी ग्राम के निवासी हों जिसमें ऐसा पट्टा स्थित है, को प्रदान किया जायेगा और ऐसे एक तिहाई क्षेत्रों का निर्धारण उस जिले के जिलाधिकारी के द्वारा सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा	
प्रतिबन्ध यह है कि उपनियम (4) के अन्तर्गत अधिमान प्राप्त करने हेतु ऐसे स्वयं सहायता समूह ही पात्र होंगे जिसके कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों, और ऐसी जातियों के सदस्य, जैसे मल्लाह, केवट आदि जो पारम्परिक रूप से बालू के उत्खनन में लगे हों एवं उसी ग्राम के निवासी हों, जिसमें वह पट्टा क्षेत्र स्थित है।	प्रतिबन्ध यह है कि उपनियम (3) के अन्तर्गत अधिमान प्राप्त करने हेतु ऐसे स्वय सहायता समूह ही पात्र होंगे जिसके कम से कम एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हों, और ऐसी जातियों के सदस्य, जैसे मल्लाह, केवट आदि जो पारम्परिक रूप से बालू के उत्खनन में लगे हों एवं उसी ग्राम के निवासी हों, जिसमें वह पट्टा क्षेत्र स्थित है।

4–उक्त नियमावली में नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :– नये नियम 9-क का बढ़ाया जाना

9–क नियम 9 में किसी बात के होते हुए, बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या उनमें से कोई भी, जो मिली–जुली अवस्था में नदी तल में अनन्य रूप से पाये जाते हैं, के खनन पट्टे एतद्पश्चात् दी गयी विधि से ही स्वीकृत किये जायेंगे :– नदी तल में अनन्य रूप से पाये जाने वाले बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या उनमें से कोई भी मिली–जुली अवस्था में हो, के खनन पट्टा के स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया

(क) खनन पट्टे की स्वीकृति के लिये क्षेत्र एवं उसकी उपलब्धता नियम 72 के प्राविधानों के अनुसार घोषित की जायेगी, जिसमें क्षेत्र का स्थान, वार्षिक पट्टा धनराशि, जैसा कि नियम 14 में प्राविधानित है तथा 7 कार्यकारी दिवसों की अवधि, जिसमें इस प्रयोजन हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्राप्त किये जायेंगे, साथ ही प्रार्थना पत्रों को खोले जाने का समय एवं स्थान का उल्लेख किया जायेगा।

(ख) आवेदन पत्र प्राप्त करने की विनिर्दिष्ट अवधि में जैसा कि घोषणा में दी गयी है, इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति मुहरबंद लिफाफे में, जिसमें क्षेत्र का नाम, और आवेदक का नाम, प्रथम मुहरबंद लिफाफे के मुख पर उल्लिखित कर, अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। मुहरबंद लिफाफे में, दो अन्य मुहरबंद लिफाफे आवेदक द्वारा रखे जायेंगे, जिसमें क्षेत्र का नाम एवं प्रार्थी का नाम, लिफाफों के मुख पर लिखा जायेगा और दोनों लिफाफे का शीर्षक क्रमशः 'क' एवं 'ख' होगा।

(ग) शीर्षक 'क' वाले प्रथम मुहरबंद लिफाफे में प्रार्थी निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा, अर्थात् –

(एक) प्रपत्र एम0एम0–1 पर आवेदन पत्र।

(दो) रूपये 5,000/– का शुल्क एवं नियम 17 में विनिर्दिष्ट व्ययों से भिन्न अन्य प्रारम्भिक व्ययों को पूरा करने के लिये रु. 10,000/– की जमा।

(तीन) उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हो।

(चार) ऐसी धनराशि का सम्भाशोधन क्षमता प्रमाण पत्र, जो आवेदित क्षेत्र की वार्षिक पट्टा धनराशि से आधे से कम न हो।

(पाँच) नियम 6 में उल्लिखित ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(छः) इस सम्बन्ध में आवेदक की स्वतः घोषणा कि :–

(क) पूर्व में आवेदक अवैध खनन गतिविधियों में न तो संलिप्त रहा है और न ही वह अवैध खनन के अपराध के लिये सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है.

(ख) राजकीय विभागों द्वारा आवेदक के विरुद्ध कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की गयी है.

(ग) आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है.

(घ) आवेदक काली सूची में नहीं है।

दूसरे मुहरबंद लिफाफे शीर्षक 'ख' में आवेदक दो दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :–

(एक) खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदित क्षेत्र के सम्बन्ध में इस आशय की घोषणा कि वह वापस न किये जाने एवं समायोजित न किये जाने वाली धनराशि रु0 .... (जो स्वामित्व एवं अनिवार्य भाटक के अतिरिक्त होगी) का प्रस्ताव दे रहा है।"

(दो) जिलाधिकारी के पक्ष में देय, बैंक ड्राफ्ट जो आवेदक द्वारा उपखण्ड (एक) में उल्लिखित प्रस्तावित धनराशि से एक चौथाई धनराशि से कम नहीं होगी। अवशेष धनराशि, जो उपखण्ड (एक) में दिये गये प्रस्ताव में उल्लिखित है, खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व भुगतान करनी होगी।

(ङ) विनिर्दिष्ट अवधि के मध्य प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रस्तावों के लिए एक समिति जिसके सदस्य निम्नवत् होंगे, गठित की जायेगी, अर्थातः—

(एक) जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई अन्य प्राधिकारी	अध्यक्ष
(दो) प्रभागीय वन अधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी	सदस्य
(तीन) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म अथवा उनके द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी	सदस्य
(चार) भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
(पाँच) जनपद के खान अधिकारी/खान निरीक्षक	सदस्य-सचिव

(च) इस प्रयोजन हेतु नियत दिनाँक एवं समय पर समिति प्रथमतः विवरण-तालिका तैयार करेगी जिसमें क्षेत्र का नाम, क्षेत्र का विस्तार, आवेदन पत्र प्राप्त करने की विनिर्दिष्ट अवधि, प्राप्त आवेदन पत्र और आवेदन पत्रों के विवरण भी उल्लिखित किये जायेंगे। समिति द्वारा यह भी अवधारित किया जायेगा कि ऐसे आवेदक, जो अर्ह नहीं हैं और जो पात्र नहीं पाये गये हैं, उनके नाम के आगे एक विशेष टिप्पणी, विवरण-तालिका में उल्लिखित की जायेगी तथा उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(छ) समिति, तदोपरान्त उन आवेदकों, जो खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु अर्ह पाये गये हैं, के द्वारा शीर्षक 'ख' का मुहरबंद लिफाफा खोलेगी, उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को उनके नाम के आगे उल्लिखित करेगी। समिति आवेदक द्वारा संलग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट के विवरण-बैंक का नाम, संख्या, बैंक ड्राफ्ट की धनराशि का उल्लेख करेगी। ऐसे आवेदक, जिन्होंने आवश्यक धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं किया है, वे विचारण क्षेत्र से बाहर होंगे।

(ज) विवरण-तालिका, जैसी वर्णित है, तैयार हो जाने के उपरान्त, समिति अपनी लिपिबद्ध आख्या खनन पट्टा स्वीकृत करने हेतु ऐसे आवेदक के पक्ष में जो अर्ह हो और जिसने खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु सर्वोच्च एवं सन्तोषजनक धनराशि का प्रस्ताव दिया हो, संस्तुति सहित प्रस्तुत करेगी।

(झ) समिति द्वारा प्रस्तुत लिपिबद्ध आख्या के प्रकाश में, जिलाधिकारी राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव अग्रसारित करेंगे तथा राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही ऐसे आवेदक के पक्ष में औपचारिक स्वीकृति आदेश निर्गत करेगा।

(ञ) ऐसे आवेदक, जिसके पक्ष में खनन पट्टे के लिये जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति नहीं की गयी है, उनके बैंक ड्राफ्ट तत्काल वापस कर दिये जायेंगे।

(ट) इस नियमावली के अन्य प्राविधान, इस नियम के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टों पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

नियम 10 का संशोधन

5—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 10 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः—

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10. क्षेत्र का विस्तार जिसके लिये खनन पट्टा दिया जा सकता है:— (1) खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु न्यूनतम क्षेत्र पाँच हेक्टेयर होगा।	10. क्षेत्र का विस्तार जिसके लिये खनन पट्टा दिया जा सकता है:— (1) बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली-जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु न्यूनतम क्षेत्र साधारणतया पाँच हेक्टेयर एवं चट्टानों के रूप में पाये जाने वाले ऐसे खनिज जो अपनी उत्पत्ति के स्थान से विस्थापित न हुआ हो तथा अन्य उप खनिज के खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु न्यूनतम क्षेत्र एक हेक्टेयर होगा :

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्तानुसार विस्तार वाले क्षेत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में यह उपनियम लागू नहीं होगा।
(2) ऐसे क्षेत्र के संबंध में जो सहत, मिला हुआ अथवा वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं है, कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा :	(2) ऐसे क्षेत्र के संबंध में जो संहत, मिला हुआ न हो अथवा वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं है, कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा :
प्रतिबंध यह है कि छोटे निक्षेप के संबंध में, जो विखण्डित ढेरों में कारण वैज्ञानिक ढग से खनन हेतु उपयुक्त नहीं है, बिना किसी विभाजन के ऐसे निक्षेप के समूह के लिये खनन पट्टे पर स्वीकृत किया जायेगा।	प्रतिबंध यह है कि छोटे निक्षेप के संबंध में, जो विखण्डित ढेरों में होने के कारण वैज्ञानिक ढंग से खनन हेतु उपयुक्त नहीं है, बिना किसी विभाजन के ऐसे निक्षेप के समूह के लिये खनन पट्टे पर स्वीकृत किया जायेगा।
(3) कोई व्यक्ति किसी उप खनिज के संबंध में सिवाय बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर के या इनमें से कोई भी, जो मिली–जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो तीन खनन पट्टों से अधिक अर्जित नहीं करेगा जिसमें 25 हेक्टेयर से अधिक का कुल क्षेत्र आच्छादित हो	(3) कोई व्यक्ति किसी उप खनिज के संबंध में सिवाय बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर के या इनमें से कोई भी, जो मिली–जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो तीन खनन पट्टों से अधिक अर्जित नहीं करेगा जिसमें 25 हेक्टेयर से अधिक का कुल क्षेत्र आच्छादित हो
प्रतिबंध यह है कि बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी, जो मिली–जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हों, के संबंध में पाँच खनन पट्टे या चार सौ हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा	प्रतिबंध यह है कि बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी, जो मिली–जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हों, के संबंध में पाँच खनन पट्टे या चार सौ हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र हो, उत्तर प्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा .
अग्रतर प्रतिबंध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, उन कारणों में से जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक पट्टे, जिसके अन्तर्गत ऊपर उल्लिखित सीमा से अधिक क्षेत्र आच्छादित हो, अर्जित करने की अनुमति दे सकती है।	अग्रतर प्रतिबंध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि खनिज विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह, उन कारणों में से जो लिखित रूप से अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक पट्टे, जिसके अन्तर्गत ऊपर उल्लिखित सीमा से अधिक क्षेत्र आच्छादित हो, अर्जित करने की अनुमति दे सकती है।
स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिये यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या दूसरे व्यक्ति के नाम से ऐसा खनन पट्टा अर्जित करे जो स्वयं उसके ही लिये अभिप्रेत हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उसे स्वयं अपने लिये अर्जित कर रहा है।	**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजनों के लिये यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या दूसरे व्यक्ति के नाम से ऐसा खनन पट्टा अर्जित करे जो स्वयं उसके ही लिये अभिप्रेत हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उसे स्वयं अपने लिये अर्जित कर रहा है।

नियम 21 का संशोधन

6—उक्त नियमावली में नियम 21 में स्तम्भ—1 में दिये गये उपनियम (1—क) के स्थान पर स्तम्भ—2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:—

स्तम्भ—1 विद्यमान नियम	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1—क) नियम 3 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी ईंट भट्टा मालिकों को नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दरों पर स्वामित्व का भुगतान करना होगा।	(1—क) नियम 3 में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी सम्बन्धित ईंट भट्ठा मालिकों अथवा साधारण मृदा या साधारण मिट्टी के उपयोगकर्ता को इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित दरों पर स्वामित्व का भुगतान करना होगा।

नियम 52-क का बढ़ाया जाना

7—उक्त नियमावली में नियम 52 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

कृषिकीय भूमि पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया

52—क (1) नियम 72 में किसी बात के होते हुए कृषि भूमि का भूमिधर उसकी भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू और मौरम को हटाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति हेतु प्रपत्र एम०एम०—8 पर तीन प्रतियों में रू० 2000/—(रुपये दो हजार) मात्र की फीस एवं भू—कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियाँ, जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो, जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(2) जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तब सम्बन्धित तहसीलदार और खान अधिकारी/खान निरीक्षक के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर जाँच करा सकता है :—

(क) क्या बालू और मौरम आवेदित भूमि पर बाढ़ के कारण जमा हुए हैं;

(ख) क्या आवेदक/आवेदकों का नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है;

(ग) क्या बालू और मौरम के जमाव के कारण आवेदक/आवेदक आवेदित क्षेत्र के उपयोग न किये जाने पर क्षति वहन कर रहे हैं;

(घ) क्या ऐसी भूमि विगत वर्ष में कृषि कार्य हेतु उपयोग की जा रही थी,

(ङ) क्या आवेदक द्वारा उपखनिज की आवेदित मात्रा आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध है,

(च) क्या खनन अनुज्ञा पत्र के आवेदित क्षेत्र खनन हेतु उपयुक्त है।

(3) उपर उल्लिखित तहसीलदार/खान अधिकारी या खान निरीक्षक जैसा कि अभिप्रेत हो की बिन्दुवार आख्या के प्रकाश में जिलाधिकारी एक फसली वर्ष में तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये भूमिधर के पक्ष में स्वामित्व की धनराशि को अग्रिम रूप से जमा कराकर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कर सकते हैं।

(4) सिवाय उपरिलिखित उपबन्धों के इस नियमावली के अन्य उपबन्ध इस नियम के अधीन स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

आज्ञा से,
डा० गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव।

(1) उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 अधिसूचना संख्या 1575—एम—18— बी०एम०—97—58 दिनांक 26 अगस्त, 1963 के साथ जारी की गई और उत्तर प्रदेश गजट दिनांक 14 सितम्बर 1963 में प्रकाशित की गई ।

(2) प्रथम संशोधन अधिसूचना संख्या 331—एम/18—एफ०एम०—331—66, दिनांक 16 नवम्बर, 1968 के साथ जारी किया गया था ।

(3) द्वितीय संशोधन अधिसूचना संख्या 1181–एम/18–एफ0एम0–21–67, दिनांक 23 नवम्बर, 1969 के साथ जारी किया गया था ।

(4) तृतीय संशोधन अधिसूचना संख्या 3388– आई0एम0/18–एफ0–15–एम0एम0–66, दिनांक 31 अगस्त, 1970 के साथ जारी किया गया था ।

(5) चतुर्थ संशोधन अधिसूचना संख्या 2746–एम/18–12–(14)–72, दिनांक 28 दिसम्बर, 1972 के साथ जारी किया गया और 31 दिसम्बर, 1972 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(6) पंचम संशोधन अधिसूचना संख्या 4669/18–12–57/75, दिनांक 14 सितम्बर, 1972 के साथ जारी किया गया और 15 सितम्बर, 1976 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(7) षष्ठम संशोधन अधिसूचना संख्या 1518/18–12–200–77, दिनांक 25 अप्रैल, 1978 के साथ जारी किया गया और 1 मई, 1978 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(8) सप्तम संशोधन अधिसूचना संख्या 3157/18–12–57–75सी0ए0–67–1957 रूल्स –1963एम0 एम0(7)–1978, दिनांक 27 जुलाई, 1978 के साथ जारी किया गया और 1 अगस्त, 1978 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(9) अष्टम संशोधन अधिसूचना संख्या 3186/18–12–सी0ए0–67–1957 रूल्स–1963 ए0एम0– 6–77–95–77, दिनांक 9 जनवरी, 1979 के साथ जारी किया गया और 30 जनवरी, 1979 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(10) नवम संशोधन अधिसूचना संख्या 8010/18–12–332–79–यू0पी0–67–1957 रूल्स–1963ए0एम0 (9)–1982, दिनांक 15 जनवरी, 1982 के साथ जारी किया गया और 1 फरवरी, 1982 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(11) दसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 486/18–12–85यू0पी0ए0–67–1957 रूल्स–196ए0एम0 (10)–1982, दिनांक 17 मार्च, 1982 के साथ जारी किया गया और 24 मार्च, 1982 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(12) ग्यारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 5379/18–12–200–77–यू0पी0ए0–67–1957 रूल्स–1963 ए0एम0–(11)–1984, दिनांक 12 अक्टूबर, 1984 के साथ जारी किया गया और 19 अक्टूबर, 1984 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।

(13) बारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 81/18–12–213–79–यू0पी0ए0–67–1957 रूल्स–1963 ए0एम0– (12) 1985, दिनांक 9 जनवरी, 1985 के साथ जारी किया गया और 11 जनवरी, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(14) तेरहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 4670/18–12–213–79–यू0पी0ए0–67–1957 रूल्स–1963 ए0एम0–(13)1985, दिनांक 29 मई, 1985 के साथ जारी किया गया और 31 मई, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(15) चौदहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 6689/18–12–206–85, दिनांक 12 अगस्त, 1985 के साथ जारी किया गया और 20 अगस्त, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(16) पन्द्रहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 4896/18–12–89–200–77, दिनांक 28 अगस्त, 1989 के साथ जारी किया गया और 28 अगस्त, 1989 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(17) सोलहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 2931/18–12–90–3(16)–90, दिनांक 30 जून, 1990 के साथ जारी किया गया और 7 जुलाई, 1990 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(18) सत्रहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 5233/18–12–90–10–90, दिनांक 26 सितम्बर, 1990 के साथ जारी किया गया और 20 अक्टूबर, 1990 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(19) अट्ठारहवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 1862/18–12–93–200–77, दिनांक 19 जुलाई, 1930 के साथ जारी किया गया और 14 अगस्त, 1993 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(20) उन्नीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 2855/18–12–93–200–77, दिनांक 26 सितम्बर एवं 25 नवम्बर, 1993 के साथ जारी किया गया और 1 जनवरी, 1994 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था ।

(21) बीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 3871/18-12-94-10-90-टी0सी0, दिनांक 27 अगस्त, 1994 के साथ जारी किया गया और 27 अगस्त, 1994 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(22) इक्कीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 5471/18-12-94-10-90 टी0सी0, दिनांक 2 फरवरी, 1985 के साथ जारी किया गया और 20 अगस्त, 1985 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(23) बाइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 4520/18-11-96-.200-77, दिनांक 9 जनवरी, 1997 के साथ जारी किया गया और 9 जनवरी, 1997 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(24) तेइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 859/77-5-2001-8(204)/95 टी0सी0, दिनांक 1 मार्च, 2001 के साथ जारी किया गया और 31 मार्च, 2001 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(25) चौबीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 1615/77-5-2001-200/77, दिनांक 28 मार्च, 2001 के साथ जारी किया गया और 28 मार्च, 2001 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(26) पच्चीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 1773/77-5-2002-729 एस0आई0डी0(आर)/2001, दिनांक 12 अप्रैल, 2002 के साथ जारी किया गया और 12 अप्रैल, 2002 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(27) छब्बीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 16661/77-5-2002-729एस0आई0डी0 (आर)/2001, दिनांक 22 जून, 2004 के साथ जारी किया गया और 22 जून, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(28) सत्ताइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 5666/77-5-2002-8(204)/95 टी0सी0, दिनांक 16 अक्टूबर 2004 के साथ जारी किया गया और 16 अक्टूबर, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(29) अट्ठाइसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 6714/77-5-2004-200-77, दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 के साथ जारी किया गया और 15 दिसम्बर, 2004 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(30) उन्तीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 476/77-5-2007-236-2005, दिनांक 15 फरवरी, 2007 के साथ जारी किया गया और दिनांक 15 फरवरी, 2007 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था

(31) तीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 530/86-2009-200/टीसी II, दिनांक 02 जून, 2009 के साथ जारी किया गया और दिनांक 02 जून, 2009 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(32) इक्तीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 336/86-2010-141/07, दिनांक 29 जनवरी, 2010 के साथ जारी किया गया और दिनांक 29 जनवरी, 2010 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(33) बत्तीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 1704/86-2010-83-2010, दिनांक 12 मई, 2010 के साथ जारी किया गया और दिनांक 12 मई, 2010 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था।

(34) तैंतीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 7338/86-2011-183/2011, दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 के साथ जारी किया गया।

(35) चौंतीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 2974/86-2012-200/77टी0सी0-II, दिनांक 2 नवम्बर, 2012 के साथ जारी किया गया।

(36) पैंतीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 2216/86-2012-235-2010, दिनांक 23 दिसम्बर, 2012 के साथ जारी किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) में दिनाँक 23 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित हुआ है।

(37) छत्तीसवाँ संशोधन अधिसूचना संख्या 1361/86-2013-113/2013, दिनांक 26 फरवरी, 2014 के साथ जारी किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) में दिनाँक 26 फरवरी, 2014 को प्रकाशित हुआ है।

आज्ञा से,
गेन्दन लाल
उप सचिव।

D:\Khancej\424 RPH Niyamawali- Bhothath-2014.rtf

No. 446/81-7-2020-39 (Eternal)/2014 TC-1

From,

Sanjay Singh,
Secretary
Uttar Pradesh Government.

To,

1. All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries / Secretaries
   Uttar Pradesh Government.

2. All Divisional Commissioners / District Magistrates,
   Uttar Pradesh.

Lucknow: Date: May 01, 2020

Environment, Forest and Climate Change Section-7.

Subject - Regarding the decision to relax the requirement of environmental clearance.

Sir,

In relation to the above subject, I am directed to say that the EIA Notification 2006 (as amended) issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India read notification No.-1224 (a) in Appendix-9 dated 28-03-2020, the following activities are exempted to require prior environmental consent:

1. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining by potters according to their practices for making earthen pots, lamps, toys, etc.

2. Ordinary clay or sand extraction for making clay tiles by manual mining.

3. Removal of sand deposits from agricultural land by farmers after floods.

4. Mining of sand and general soil from sources located in the Gram Panchayat for personal use or community work in the village as per custom.

5. Community work such as desilting rural ponds or tanks, construction of rural roads, ponds or dams through Mahatma Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes, other government schemes, sponsored and community efforts.

6. Removal, removal or use of ordinary soil for linear projects such as roads, pipelines, etc.

7. Digging and siltation of dams, ponds, bunds, barrages, rivers and canals for the purpose of their maintenance and disaster management.

8. Traditional occupation of sand by Banjara and Od in Gujarat vide Government of Gujarat Notification No. GU/90(16)/MCR-2189(68)/5-CHH dated 14th February, 1990.

9. Manual extraction of lime balls, sacred places, etc., within the inter-tidal zone by the traditional community.

10. Digging of wells for irrigation or drinking water.

11. Excavation for foundation of buildings which do not require prior environmental clearance, as the case may be.

12. Excavation of ordinary soil or sand, on the orders of the District Collector or the District Magistrate or any other competent authority, to fill the gap in any canal, drain, drain, water body, etc., so as to deal with any calamity or flood like situation. Can you

13. "Such activities which have been declared by the State Government under legislation or rules to be non-mining activities."

2. It has been mentioned under the provisions made in the notification no.- 3204 / 86-2014-278-2011 dated 22-10-2014 (U.P. Sub-Minerals Avoidance Rules, 37th Amendment 2014) issued by the Department of Geology and Mining, Government of Uttar Pradesh. That:

"Ordinary soil, done by hand for making bricks and pottery, or by hand operation to remove ordinary soil, shall not come under mining operations, provided that the depth of the pits resulting from such excavation or mining will not be more than 02 meters."

Under the relaxation of the activities mentioned in the above EIA notification dated 28-3-2020 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, according to the provisions of the UP Sub Mineral Remission Rules (37th Amendment) 2014, no prior environmental consent will be required for excavation of normal soil/common soil to a depth of 02 meters by hand for making bricks.

3. Therefore, please ensure compliance of the said notification dated: 28.03.2020 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

Sd/- Illegible
(Sanjay Singh)
Secretary.

Copy:- Sent to the following for information and necessary action:

1. Director, Environment, Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.
3. Guard File.

Sd/- Illegible
(Bharat Prasad)
Under Secretary

//TRUE TRANSLATED COPY//

संख्या– 446/81–7–2020–39(पर्या)/2014 टी0सी0–1

प्रेषक,

संजय सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
उ0प्र0 शासन।

2– **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु0–7 **लखनऊः दिनांकः 01 मई, 2020**

विषय–पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता में छूट के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) सपठित अधिसूचना सं0–1224 (अ) दिनांक 28–03–2020 के परिशिष्ट–9 में निम्न कियाकलापों को पूर्व पर्यावरणीय सहमति की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई हैं :–

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिटटी के घड़े,लैम्प, खिलौने,आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी।
2. मैनुअल खनन द्वारा मिटटी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिटटी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिटी या बालू की निकासी।
3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।
4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिटटी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिमार्ण।
6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिटटी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।
7. बांधों,तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।
8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं0–जीयू/90(16)/एमसीआर–2189(68)/5–सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।
9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू– पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।
10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।
11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

Scanned with CamScanner

12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिटटी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके।

13. "ऐसे कियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी कियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

2– भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–3204/86–2014–278–2011 दिनांक 22–10–2014 (उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 37वॉं संशोधन 2014) में किये गये प्राविधानों के अधीन यह उल्लेख किया गया है कि:–

"ईट एवं मिटटी के बर्तन बनाने हेतु हस्तसंचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्तसंचालन से साधारण मृदा, समान्य मिट्टी को निकालने की किया, खनन संकियाओं के अर्न्तगत नहीं आएगी, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्डों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी"

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त ई0आई0ए0 अधिसूचना दिनांक 28–3–2020 में उल्लिखित कियाकलापों में छूट के अन्तर्गत उ0प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली (37वॉं संशोधन) 2014 के प्राविधानों के अनुसार ईंट बनाने हेतु हस्तचालित विधि से 02 मीटर की गहराई तक साधारण मृदा/सामान्य मिट्टी की खुदाई के लिये पूर्व पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

3– अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना दिनांक–28.03.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या–446(1)/81–7–2020–39(पर्या)/2014 टी0सी0–1, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

"BY EMAIL & SPEEDPOST A.D."

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 819 OF 2022
Abhishek Panwar Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors.

To

1. **Uttar Pradesh Pollution Control Board**
Through its Chairman,
Building No. TC-12V,
III Floor, PICUP Bhawan,
Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow, U.P.-226010
Email Address: grievance@uppcb.com (RESPONDENT NO.1)
2. **Uttar Pradesh Ground Water Department**
Through its Director,
Ground Water Directorate,
9th Floor, Indira Bhawan,
Ashok Marg, lucknow-226001, U.P.
Email Address: upgwd.in@gmail.com (RESPONDENT NO.2)
3. **State Level Environment Impact Assessment Authority**
Uttar Pradesh, Through its Chairman,
199, Mandakini Enclave, Alaknanda, New delhi-110019
Email Address: chairman.seiaa.up@gmail.com (RESPONDENT NO.3)
4. **Uttar Pradesh Panchayati Raj Department**
Through its Principal Secretary,
Plot No. 6, Lohiya Bhawan, Sector E,
Aliganj, Lucknow, U.P.-226024
Email Address: up.panchayatiraj@gmail.com (RESPONDENT NO.4)
5. **District Magistrate Saharanpur**
Collectorate Compound Delhi Road,
Saharanpur, U.P.
Email Address: dmsah@nic.in (RESPONDENT NO.5)
6. **Central Pollution Control Board**
Through its member Secretary
Parivesh bhawan, CBD cum office Complex,
East Arjun Nagar, Delhi-110032
Email Address: ajayaggarwal.cpcb@nic.in (RESPONDENT NO.6)
7. **Central ground Water Board**
Through its Chairman
Bhujal Bhawan, CGO Complex Road,
NH-IV, Faridabad, Haryana-121001
Email Address: chmn-cgwb@nic.in (RESPONDENT NO.7)
8. **Saharanpur ENT Nirmata Samiti**
Through its President,
Chaudhary Baktawar Singh,
House No. 2B/1587/1,Ahmed Bagh,
Near Uttam Niwas, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.8)
9. **M/S Abdul Hamid Brick Field**
Village Shekhpura Kadeem,
Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.9)
10. **M/S Arti Brick Field (FOOL)**
Kundabasi Nakur, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.10)
11. **M/S Shri Balaji Garamoudyog Vikas Sansthan**
Salhapur, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.11)
12. **M/S Bharat Brick Supply**
Village Chandpur Kayasth, Tehsil Deoband,
Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.12)
13. **M/S Dhiraj Brick Udyog**
Village Khanpur, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.13)
14. **M/S Friends Brick Works**
Village Sikri, Tehsil & District Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.14)
15. **M/S Hindustan Brick Field**
Village Latifpur Lakhnor,
Tehsil & District Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.15)
16. **M/S Hindustan Brick Field**
Village Sawalpur Nawada, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.16)
17. **M/S Kumar Brick Field**
(A.V.R.) Janta Road, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.17)

18. **M/S Kamboj Brick Field**
Kutubpur Haroda, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.18)
19. **M/S Kisan Brick Field**
Hussainpur Sarsawa, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.19)
20. **M/S Kisan Gramodyog Sansthan**
Village Miragpur, Deoband Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.20)
21. **M/S Kumud Brick Field**
Chakadampur, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.21)
22. **M/S Lata Devi Bricks Supply**
Chandibhank Road, Behat, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.22)
23. **M/S Malik Bhatta Udyog**
Fatehpur Kalan Deoband, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.23)
24. **M/S Madiha Brick Field**
Village Sardarhedi, Haroda, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.24)
25. **M/S Pulkit Brick Field**
Bhalaswa Ishapur, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.25)
26. **M/S New Qureshi Bricks Supply**
Village Taharpur, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.26)
27. **M/S Qureshi Brick Supplier**
Dara Milakpur, Dhamola, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.27)
28. **M/S Qureshi Bricks Supply**
Village Daramilkan, Sharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.28)
29. **M/S Shakumbari Brick Udyog**
Chak Adampur, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.29)
30. **M/S Shivam Brick Field**
Sultanpur Bastam, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.30)
31. **M/S Standard Brick Supply**
Patni Chilkana, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.31)
32. **M/S Shiv Bricks Field**
Randai, Saharanpur, U.P. (RESPONDENT NO.32)

NOTICE

Whereas the above titled Application was listed before the Hon'ble Tribunal on 18.11.2022 (copy of order and petition are enclosed), when the Tribunal inter-alia passed the following order (reproduced relevant extracts only):-

> **"5. Notice of the application be issued to the respondents requiring the respondents to file reply by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.**
>
> **8. List for further consideration on 01.02.2023."**

-******-

2. Now, take further notice that the above matter will be listed for further consideration before the Hon'ble Tribunal on 01st February, 2023, at **Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110001** through physical hearing (with hybrid option), when you may appear before the Hon'ble Tribunal either in person or by a pleader duly instructed, and file responses/replies, as per directions of the Hon'ble Tribunal vide Order dated 18.11.2022.

3. Take further notice that in default of your appearance on the date above mentioned, the said Application will be heard and determined in your absence.

4. Given under my hand and the seal of this Tribunal, on this 25th November, 2022.

Note: *(For Orders, Cause Lists & other information, please visit our website www.greentribunal.gov.in)*

25/11/2022

Consultant (Judicial), NGT

NATIONAL GREEN TRIBUNAL (Principal Bench), New Delhi
सत्यमेव जयते

Item No.03 (Court No. 2)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

(Through Physical Hearing with Hybrid V.C. Option)

Original Application No.819/2022

Abhishek Panwar …Applicant

Versus

U.P.P.C.B. & Ors. …Respondents

Date of hearing: 18.11.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Sanjeet Paliwal Advocate.

<u>Application under Sections 14 and 15 of the National Green Tribunal Act, 2010.</u>

ORDER

1. Mr. Abhishek Panwar has filed the present application under Sections 14 and 15 of the National Green Tribunal Act, 2010 in public interest for agitating the cause of severe level of air pollution and degradation of water quality in District Saharanpur due to pollution caused by illegal mushrooming of brick kilns in clusters and near water bodies and due to failure on part of the concerned authorities in stopping them from causing irreversible damage to the environment of the area which is causing serious damage to the health of the local residents.

2. In the application, the applicant has made detailed averments as to the violations of the environmental norms which are summarily mentioned as under :-

(i) As per the status of brick kilns in the State of Uttar Pradesh provided by UPPCB in Saharanpur around 263 Brick Kilns have been established out of which 25 units have not applied for permission for CTO from UPPCB and

closure order has been issued against them but prosecution has been launched only against 3 units and no action has been taken against majority of brick kilns operating illegally.

(ii) the closure orders passed by UPPCB are nothing more than a paper formality. Due to failure on part of the concerned authorities in taking stringent and effective action these illegal bricks kilns are still operating at the same place just by changing the name on paper as no Khasra number is mentioned.

(iii) brick kilns are operating very close to each other and not maintaining the distance of minimum 500 meters between them. Also, the same are established very close to the residential complex, schools, etc. The siting criteria provided under the rules is being violated by the brick kiln operators and the UPPCB has failed to take necessary action against them.

(iv) the Secretary of the Uttar Pradesh Environment Department issued a letter dated 01.05.2020 informing about the notification of the Ministry of Environment and Forest (MoEF) dated 28.03.2020 whereby considering the public good, the MoEF has granted exemption from prior environmental clearance for certain categories of works in which brick kilns are not included. The State Government by making amendment in the Rules granted exemption to brick makers from getting prior environmental clearance for manual excavation of soil by hand digging, provided that the depth of pits resulting from such excavation or mining shall not exceed 2 meters. The State Government by making amendment in the Rules allowed the brick makers to openly exploit and harm the ecology and environment for own commercial advantage without any check. The brick makers of Saharanpur do not record the daily data of soil excavation at the project site and many kiln owners are openly violating the said rules by digging the soil for more than 2 meters and no action has been taken against them by the concerned authorities.

(v) the brick kilns operators of District Saharanpur are using huge quantity of underground water for casting of bricks and dust suppression but they have not applied for permission for extraction of ground water.

(vi) almost all the brick kilns in Saharanpur have not converted to zig zag technology and they are operating throughout the year.

(vii) due to operation and mushrooming of illegal brick kilns in clusters not only the air quality of the District Saharanpur has become severe but the same is also causing problem of land degradation and contamination of surface and water quality of the region. The brick kilns are operating next to Yamuna canal and causing damage to the water bodies. Discharge of untreated effluent is severely polluting Hindon River.

3. The applicant has accordingly sought issuance of directions for remedial action as prayed for in the application.

4. *Prima facie*, the allegations made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in *Schedule* I to the National Green Tribunal Act, 2010.

5. Notice of the application be issued to the respondents requiring the respondents to file reply by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. We also consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Magistrate, Saharanpur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and submit its report **within one month** by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

7. In case the Joint Committee observes any violation of consent conditions/environmental norms then it shall forward a copy of its report to concerned statutory authorities including State PCB, and District Magistrate, Saharanpur who shall take appropriate remedial action by following due process of law in accordance with Statutory provisions mandating them to take remedial action for prevention, control and abatement of environmental pollution/degradation and protection and improvement of environment and submit their action taken report by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF **within one month** from the date of receipt of a copy of the report of the Joint Committee.

8. List for further consideration on 01.02.2023.

9. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to UPPCB and the District Magistrate, Saharanpur by e-mail for compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

November 18, 2022
AG